

By mail

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : एफ 2(8)संकलन / बजट / 2016-17 / ५०७,

दिनांक : २१.९.१६


समस्त आवासीय अभियंता,
राजस्थान आवासन मण्डल,
खण्ड
४४४४४४

विषय :— निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु आवश्यकतानुरूप बजट आवंटित करने हेतु भेजे जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में।

संदर्भ :— कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(8)संकलन / बजट / 2016-17 / 494 दि. 20.09.16


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न खण्ड कार्यालयों द्वारा सम्पादित किये जा रहे निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु आवश्यकतानुरूप बजट आवंटित करवाने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में संबंधित आवासीय अभियंता द्वारा सीधे ही वित्तीय सलाहकार को प्रस्तुत किये जाने की वर्तमान प्रक्रिया को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(8)संकलन / बजट / 2016-17 / 494 दि. 20.09.16 के द्वारा संशोधित कर पुनः निर्धारित की गयी है। अतः आप द्वारा पूर्व में भेजे गये लम्बित बजट प्रस्ताव नवीन प्रक्रियानुसार प्रेषित करावें, साथ ही भविष्य में भी उक्त प्रक्रिया अनुसार ही प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि बजट आवंटन में अनावश्यक विलम्ब न हो।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य अभियंता प्रथम / द्वितीय, राज0आ0मं0, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रथम / द्वितीय / तृतीय, राज0आ0मं0, जयपुर / जोधपुर।
3. उप आवासन आयुक्त, राज0आ0मं0 वृत्त
४४४४४४
4. रक्षित पत्रावली।


डॉ. डॉ. डॉ. (C.A.) जी का संक्षिप्त नाम द्वारा लिखा गया है।


वित्तीय सलाहकार
राज0आ0मं0, जयपुर